निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 45/अपील/20

तारिख दायराः 25.09.2020

मांगीलाल आ0 देवीलाल जाति भील नि0 असनावर तहसील असनावर(अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये क्षेत्रिय वन अधिकारी असनावर (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी फेसला सहायक वन संरक्षक झालावाड/पिडावा दिनांक 23.10.2018 मिसल न0 48/18

उपस्थितः– श्री देवेन्द्र व्यास अभिभाषक अपीलान्ट

–: निर्णय :– **दिनांकः 06.10.2020**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक झालावाड के आदेश दिनांक 23.10.2018 जो मिसल न0 48/असनावर/18 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को वनखण्ड तलवाडिया ग्राम असनावर की आराजी ख0न0 1497 रकबा 25 गुना 50 वर्ग फीट पर अतिक्रमण कर मकान बनाने पर पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर रू0 1100/– शास्ति एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रह सार तथा कानून के विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है अपीलान्ट 60 वर्षीय गरीब भील समाज का सदस्य है, अपीलान्ट द्वारा शास्ती जमा करवा दी गई है। अपीलान्ट के पास पंचायत का लिखा हुआ है कि आराजी अपीलान्ट की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील को निरस्त फरमाया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पैरोकार वन विभाग उपस्थित नही।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, अपीलान्ट के पास पंचायत का लिखा हुआ है कि आराजी अपीलान्ट की है , अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। पेरोकार वन विभाग के उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा जिस आराजी पर अतिक्रमण कर मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है वह भूमि न्यायालय सहायक वन संरक्षक झालावाड़ के निर्णय अनुसार राजस्थान सरकार के राज पत्र में विज्ञप्ति संख्या एफ 6(408) रा.क.62 दिनांक 29.12.1962 को अंतिम घोषणा पत्र में प्रकाशित कर आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उक्तानुसार सहायक वन संरक्षक,झालावाड़ द्वारा मिसल न0 48/असनावर/18 निर्णय दिनांक 23.10.2018 में आरोपित शास्ती व 30 दिवस सिविल कारावास की सजा में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी जो आरक्षित वन घोषित है पर से कब्जा भी नही हटाया गया है, इस निर्णय के माध्यम से अपीलान्ट को किसी तरह की राहत प्रदान नही की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़